प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं:–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/विधि/ दिनांक 14/9/2012

विषय– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 हेतु विभिन्न कार्यक्रमों हेतु स्टाफ नर्स की तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के आदेश अन्तर्गत रिट याचिका 4775/2012 (एस/एस), नीरज कुमार चौहान व अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इण्डिया में दिनांक 07/09/2012 को निम्न प्रकार निर्देशित किया गया है:–

"In the meantime, as an interim measure,, it is hereby provided that the opposite party no.3 shall take a decision with respect to renewal of service contract of petitioners and in case there is no adverse material against petitioners, they shall be allowed to continue on the post of Staff Nurse (Male).

Till the said decision is taken, the opposite parties shall not proceed with respect to fresh recruitment on the post in question."

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 हेतु विभिन्न कार्यक्रमों हेतु स्टाफ नर्स की तैनाती जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जानी/की जा रही है। जिसमें कि प्रमुख कार्यक्रम **L-2** प्रसव इकायों पर संविदा पर स्टाफ नर्स की तैनाती, **L-3** प्रसाव इकायों पर संविदा पर स्टाफ नर्स की तैनाती, स्टाफ नर्स (एन0आर0सी0), एस0एन0सी0यू0,अरबन हेल्थ एवं आर्शीवाद बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना में की जानी/की जा रही है। इसके सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के आदेश के क्रम में स्पष्ट किया जाता है, कि **L-2** प्रसव इकायों पर संविदा पर स्टाफ नर्स की तैनाती, **L-3** प्रसव इकायों पर संविदा पर स्टाफ नर्स की तैनाती करते समय यदि स्टाफ नर्स (महिला) उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर पूर्व में कार्यरत संविदा स्टाफ नर्स (पुरूष) की तैनाती एवं अन्य कार्यक्रम स्टाफ नर्स (एन0आर0सी0) स्टाफ नर्स एस0एन0सी0यू0, अरबन हेल्थ एवं आर्शीवाद बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना में पूर्व में कार्यरत संविदा स्टाफ नर्स (पुरूष) की अनुमति निम्नानुसार प्रदान की जाती है–

1. यदि किसी रिक्त पदों पर नवीन तैनाती की जानी है तो पूर्व में कार्य किये गये संविदा कर्मी को वरीयता दी जाय।
2. यदि जनपद में एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत इन पदों पर पूर्व में संविदा कर्मियों द्वारा कार्य किया गया हो तो उनके कार्य का दिये गये प्रारूप पर विगत वर्ष का कार्य मूल्यांकन करते हुए सेवा सम्बन्धी कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में ना आने पर पुनर्अनुबन्ध किया जाए।
3. उपर्युक्त स्वीकृति मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन इस आशय से दी जा रही है कि वे आवश्यकता अनुसार कर्मियों को रिक्त पदों पर तैनात करें।

भवदीय,

/

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/विधि/2012–13/1399-72-9 दिनांक 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक , चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, एन0आर0एच0एम0,एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

14/09/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक